

Amnesty Scheme 2008

माफी योजना के तहत, छेड़छाड़/ छेड़छाड़ की आशंका वाले मीटरों को बदलने के लिए आवेदन/ घोषणा

मैं/ हम पुत्र....., निवासी.....
..... निम्नलिखित घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि:

1 मैं/ हम प्रॉपर्टी संख्या..... में स्थित कनेक्शन संख्या का/ के रजिस्टर्ड उपभोक्ता/
उपयोगकर्ता हूँ/ हैं।

2 छेड़छाड़ वाले मीटरों के संबंध में स्वैच्छिक घोषणा के तहत मैं/ हम डीईआरसी द्वारा स्वीकृत, बीएसईएस द्वारा लॉन्च
की गई माफी योजना के लिए उपर लिखित कनेक्शन पर माफी योजना के तहत आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

3 मैंने/ हमने इस योजना के बारे में पढ़ और समझ लिया है और अब इसके नियमों व शर्तों को स्वीकार करता हूँ/
करते हैं। मैं यह कहता हूँ कि यह आवेदन उपर लिखित योजना के अनुकूल है और इसके सभी नियम व शर्तें मेरे/ हमारे
उपर लागू होती है।

4 मैं/ हम निम्नलिखित सूचनाओं की घोषणा करता हूँ/ करते हैं:

- क. के नंबर—
- ख. मीटर प्रकार: इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल
- ग. सैंक्शंड लोड
- घ. सैंक्शंड लोड की श्रेणी
- ङ. किस श्रेणी के लिए उपयोग हो रहा है
- च. कनेक्टेड लोड, जैसा कि बताया गया है
- छ उद्योग/ स्थायित्व के प्रकार
- ज. पूरा पता

5. मैं/ हम किलोवॉट/ एचपी के सैंक्शंड लोड के बदले..... किलोवॉट/ एचपी का
उपयोग, उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ/ रहे हैं, जबकि उसे उद्देश्य के
लिए सैंक्शन किया गया था।

6 मेरा/ हमारा मीटर छेड़छाड़ वाला है और इसलिए मैं बीएसईएस द्वारा लॉन्च छेड़छाड़ वाले मीटर संबंधी स्वैच्छिक
घोषणा की माफी योजना के लिए आवेदन कर रहा हूँ।

7. मैं/ हम इस स्कीम के तहत मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान योग्य तमाम शुल्क का भुगतान करूंगा/ करेंगे, जिनमें मीटर
की कीमत, जुर्माना, और अन्य लागू शुल्क भी शामिल होंगे, लेकिन रकम सिर्फ इन्हीं चीजों तक ही सीमित नहीं रह सकती
है। बीएसईएस द्वारा अपने डिमांड नोट के माध्यम से जारी किए गए ताम शुल्कों के पूरे भुगतान के बाद ही माफी योजना
का लाभ दिया जाएगा।

8 इस स्कीम के तहत मैं/ हम बीएसईएस के द्वारा बताए गए बकाये का पूरा भुगतान कर दूंगा/ देंगे। यदि मेरी/
हमारी मांग पर बीएसईएस द्वारा मुझे भुगतान के लिए किश्तों की सुविधा दी जाती है, तो मैं/ हम तय समाय-अवधि के
दौरान किश्तों का भुगतान कर दूंगा/ देंगे। किश्तों/ बिल के भुगतान न करने/ भुगतान में डिफॉल्ट होने पर,
बीएसईएस के पास इन सुविधाओं को वापस लेने का पूरा अधिकार होगा और तय नियमों/ निर्देशों/ क्लॉज/ कानून के
तहत बिजली की आपूर्ति काटने का भी उसे अधिकार होगा।

9 जो डिमांड नोट दिया गया है, उसके आधार पर यदि मैं योजना की आखिरी तारीख तक भुगतान नहीं करता हूँ, तो मैं/
हम इस योजना के तहत किसी भी लाभ का पात्र नहीं रहूंगा/ रहेंगे और यह बीएसईएस के अधिकार में होगा कि वह तय
नियमों/ निर्देशों/ क्लॉज/ कानून आदि के तहत आगे की कार्रवाई कर सकती है।

10 मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे स्थान/ कनेक्शन संख्या, जो कि उपर लिखित है, का किसी भी बीएसईएस अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया है और उसे छेड़छाड़युक्त घोषित नहीं किया गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि घोषित किए गए के नंबर पर कोई भी कोर्ट केस या एन्फोर्समेंट केस या इस तरह के मामले लंबित नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला इस कनेक्शन के खिलाफ पाया जाता है, तो मुझे इस स्कीम के तहत मिलने वाले तमाम लाभ वापस ले लिए जाएंगे और मेरे खिलाफ सिविल / आपराधिक मामले बनाए जाएंगे।

11 मैं जानता हूँ कि नहीं निपटाए गए –अनसेटलड– एन्फोर्समेंट मामले माफी योजना के योग्य नहीं होंगे और तय नियमों/ निर्देशों/ क्लॉज/ कानून के तहत सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही, यदि मेरे द्वारा कोई झूठी या गलत घोषणा की जाती है, तो माफी योजना के लाभ नहीं मिलेंगे, मेरे द्वारा किए गए भुगतान वापस नहीं किए जाएंगे, और उन्हें सामान्य एन्फोर्समेंट बिल के तहत एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों के तहत मेरे खिलाफ मामले चलाए जाएंगे।

12 इस योजना के तहत आने का अर्थ यह नहीं होगा कि मैं बकाये/ या पिछली अवधि के विवादास्पद रकम (आज की तारीख तक एलपीएससी सहित) का भुगतान नहीं करूंगा। बकाये का भुगतान न करने पर, बीएसईएस को यह अधिकार होगा कि वह तय नियमों/ निर्देशों/ क्लॉज/ कानूनों के हिसाब से कभी भी मेरी बिजली आपूर्ति काट सकती है।

13 मुझे यह भी मालूम है कि माफी योजना में दी जाने वाली राहत मेरी और बीएसईएस की आपसी समझदारी पर आधारित है और भविष्य में मैं कभी बिजली चोरी/ मीटर से छेड़छाड़/ बिजली का अनाधिकृत उपयोग नहीं करूंगा। यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो बिना किसी ढील या राहत के बीएसईएस द्वारा इससे कड़ाई से निपटा जाएगा। कानून के हिसाब से मुझ पर सिविल व आपराधिक मामले भी चलाए जाएंगे।

14 मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी व सूचनाएं मेरे हिसाब से सही हैं। यदि उपर दी गई सूचनाओं में से कोई भी गलत पाई जाती है, तो बीएसईएस के पास यह अधिकार होगा कि वह माफी योजना के लाभ और उसके बाद मुझे दी गई तमाम छूट वापस ले ले, मेरे खिलाफ सिविल व आपराधिक मामले बनाए और साथ ही, उपर लिखित कनेक्शन/ स्थान की बिजली आपूर्ति काट दे।

15 मैं यहां यह भी निवेदन करता हूँ कि मेरा सैंक्शंड लोड किलोवॉट से बढ़ाकर किलोवॉट कर दिया जाए। लोड बढ़ोतरी से संबंधित शुल्क का भुगतान मैं करूंगा। मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि बीएसईएस को यह अधिकृत किया गया है कि वह मुझे कनेक्शन/ व शुल्क की सही श्रेणी में डाले और कानून के हिसाब से सही शुल्क / टैरिफ ले।

मैं/ हम कहता हूँ/ कहते हैं कि उपर घोषित किए गए तथ्य व सूचनाएं मेरी/ जानकारी के मुताबिक सही हैं।

मैं/ हम यह भी स्वीकार करता हूँ / करते हैं कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और तमाम शुल्क का भुगतान करने का मतलब यह नहीं होगा कि मेरे/ हमारे पास स्थानीय प्राधिकरणों के अंतर्गत, किसी भी म्यूनिसिपल कानून या नियम के तहत, म्यूनिसिपल लाइसेंस/ एनओसी/ लाल डोरा प्रमाणपत्र के अभाव में, ज्यादा कनेक्टेड लोड के नियमितीकरण का अधिकार होगा। उपर लिखित घोषणाओं में यदि कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो मैं बीएसईएस को कार्रवाई के लिए अधिकृत करता हूँ।

आवेदक

गवाह